

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षकों तथा दावा अधिकारियों की नियुक्ति

4342. श्री युवराज : क्या संसदीय कार्य तथा भ्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि श्रमिकों के हितों की विशेष देखभाल के लिए सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन निरीक्षकों तथा दावा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कितने निरीक्षक और दावा अधिकारी हैं और उन पर प्रति वर्ष कितना खर्च होता है ;

(ख) क्या कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए मजदूरी दरें अधिसूचित की जाती हैं और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में कब संशोधित दरें अधिसूचित की थीं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी दिलाने की पुरानी प्रक्रिया अब्यावहारिक प्रतीत होती है और यदि हां, तो इस बारे में कौन-सी नयी प्रक्रिया अपनाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा भ्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 19 और 20 में इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए निरीक्षक तथा दावा प्राधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है । कृषि के संबंध में इस अधिनियम का कार्यान्वयन मुख्यतया राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है और निरीक्षकों तथा दावा प्राधिकारियों की संख्या और उन पर प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए कुल व्यय के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) एक विवरण, जिसमें कृषि श्रमिकों को देय मजदूरी-दरें तथा निम्न राज्यों में

इन दरों के लागू होने की तारीखें दी गई हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है [ग्रन्थालय में रखा गया । बेस्विट संख्या एल टी 785/77]

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, समय समय पर राज्य सरकारों को सलाह दी जाती है कि वे इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ।

बिहार को स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के लिये विशेष सहायता

4343. श्री युवराज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछड़े राज्यों में चिकित्सा की विशेष सुविधा देने के लिये योजनाएँ तैयार की हैं ;

(ख) क्या बिहार भारत का एक सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी अधूरे स्वास्थ्य उप-केन्द्रों और कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण पूरा करने के लिये बिहार को विशेष सहायता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब और कितनी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राज नारायण) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य योजना तैयार की गई है ।

(ख) प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखा जाये तो बिहार भी पिछड़े राज्यों में आता है ।

(ग) और (घ). उप-केन्द्रों के भवन और कर्मचारियों के क्वार्टर बनाने का कार्य राज्य योजना में शामिल न्यूनतम आवश्यकता कार्य=